Un-Starred vidhan Sabha Question 111
To Start Khet Khaliyan Scheme

111 **Sh. AMIT SIHAG (Dabwali):** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state:-Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the Khet Khaliyan Scheme for paving the way to Dhanis in State; if so, the detailed Scheme togetherwith the time by which it is likely to be restarted?

Davender Singh Babli, Development and Panchayats Minister

Sir,

It is informed that 'Mukhya Mantri Kishan Khet Sadak Yojana' (CM Code 24219) was started from 01.11.2018 under Haryana Gramin Vikas Yojana. Under this scheme construction of kaccha rastas of Khet upto 25 K.M. with bricks or upto 15 K.M. with interlocking paver blocks has been provided in each Assembly Constituency. The estimate for construction of these rastas is being prepared by the CEO, ZP/ XEN, PR on the recommendation of Hon'ble Minister/MLA of the constituency concerned and sent to Govt. for approval. Funds are being released to the XEN, PR concerned after approval of the Hon'ble Chief Minister.

अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 111

खेत खलिहान योजना शुरू करना

111 श्री अमित सिहाग (डबवाली): क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताएंगे कि राज्य में ढाणियों के रास्ते को पक्का करने के लिए खेत खलिहान योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा इसे पुनः कब शुरू किए जाने की संभावना है?

देवेन्द्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा

श्रीमान जी,

इस बारे यह अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत दिनांक 01.11.2018 से 'मुख्यमंत्री खेत-खलियान सड़क योजना' (सी.एम. कोड़ 24219) शुरू की गई थी, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 25 किलोमीटर तक खेतों के कच्चे रास्तों का निर्माण ईंटों से या 15 किलोमीटर तक इन्टरलोकिंग पेवर ब्लॉक से तैयार किये गए हैं। इस योजना के तहत खेतों के रास्तों के निर्माण हेतु माननीय मंत्रीगण/विधायक महोदय द्वारा सिफारिश की जाती है। इसके पश्चात सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज द्वारा कार्यों के प्रांकलन तैयार करवाकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे जाते हैं जिनकी स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्राप्त करके राशि सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज को जारी की जाती है।